न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/196
मुकदमा नम्बर 66/2024 दर्ज दिनांक–13.05.2024

1. अनूज पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
2. रमेश कुमार पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
3. शीशराम पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
4. सुनिल पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र बजरंगलाल निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
2. महादेवा राम पुत्र बजरंगलाल निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
3. सन्तोष पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
4. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
5. चन्दगीराम पुत्र विधाधर निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
6. कमला देवी पत्नी सतीश कुमार निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
7. मोनिका कुमार पुत्री सतीश कुमार निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
8. मोहित पुत्र सतीश निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
9. विधाधर पुत्र मुखराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
10. बनारसी पत्नी अर्जन निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
11. मनीराम पुत्र अर्जन निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
12. महेश पुत्र मुखाराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
13. राजेश पुत्र अर्जन निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
14. कुनणी देवी पत्नी धुकलराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
15. किरण पुत्री धुकलराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
16. देवकरण सिंह पत्रु धुकलराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
17. विधादेवी पत्नी देवकरण सिंह निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
18. सन्तोष पुत्री धुकलराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
19. सावित्री देवी पुत्री धुकलराम निवासी ग्राम ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
20. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगाल, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
21. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुझुंनू तहसील व जिला झुझुंनू
22. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री गणेश कुमार सुण्डा, श्री अशोक कुमार जांगिड
अनावेदक सं. 1 :– श्री विजेन्द्र सिह दूत
अनावेदक सं. 2 लगा. 21:– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 22 :– पैरो. राज

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 27.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1350/482 की नपती/सीमा निर्धारण कर पत्थरगड्डी करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 2 लगा. 21 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 22 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार का एतराज/उजर पेश नही किया। अनावेदक सं. 1 की और से जरिये वकील जवाब प्रा. पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया।

प्रार्थीगण ने कानूनी नियम व प्रावधानों के मुताबिक उत्तरदाता की उपस्थिति में सीमाज्ञान नही करवाया है। बल्कि वेग प्रा. पत्र पेश किया है। इसलिये प्रा. पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक द्वारा विरोध करते हुये तथा कानूनी नियम व प्रावधानों के मुताबिक उत्तरदाता की उपस्थिति में सीमाज्ञान नही करवाने तथा अपने जवाब में अंकित अन्य तथ्यों का हवाला देते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा फर्द सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2024 का अवलोकन किया गया।

मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है। सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2024 में पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार का किसी सीमा पर विवाद होने का अंकन भी नही किया गया है। सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को राजस्व ग्राम ढिगाल के खसरा नं. 1350/482 रकबा 0.2084 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2024 के अनुसार पत्थरगड्डी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुनू